

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

अनिल क्षेत्रपाल के सामने , जे.

हरियाणा राज्य और अन्य-अपीलार्थी

बनाम

राजेंद्र कुमार और अन्य-1996 का प्रतिवादीगण आर. एस. ए. सं. 3001

25 फरवरी, 2019

पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम, 1953-पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा नियम, 1956-हरियाणा भूमि धारण सीमा सीमा अधिनियम, 1972-एस. 8-अतिरिक्त भूमि के उपयोग से पहले प्राकृतिक उत्तराधिकार द्वारा संपत्ति की विरासत के लिए उत्तराधिकारियों के हाथों में संपत्ति के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता होगी या पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं?—पंजाब प्रतिभूति भूमि कार्यकाल अधिनियम, 1953 या बनाए गए नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ हरियाणा अधिकतम सीमा भूमि धारण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत कानून के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, विरासत को बचाया गया है यदि अधिशेष घोषित भूमि का उपयोग उनके द्वारा नहीं किया गया था और उन उत्तराधिकारियों के हाथों में अधिशेष क्षेत्र के मामले के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी, जिन्हें प्राकृतिक उत्तराधिकार द्वारा संपत्ति विरासत में मिली है, जब 1972 के अधिनियम के लागू होने से पहले किसी बड़े भूमि मालिक की मृत्यु हो जाती है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब भूमि स्वामित्व सुरक्षा अधिनियम , 1953 के प्रावधानों के साथ-साथ हरियाणा भूमि स्वामित्व सीमा धारण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत कानून के जनादेश मद्येनजर , यह स्पष्ट है कि एक उत्तराधिकारी द्वारा विरासत को बचाया गया है यदि अधिशेष घोषित भूमि का उपयोग उनके द्वारा नहीं किया गया था। इस अदालत का ध्यान हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 या पंजाब सिक्वोरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट, 1953 में किसी भी प्रावधान की ओर नहीं खींचा गया है, जिसमें कहा गया है कि उन उत्तराधिकारियों के हाथों में अधिशेष क्षेत्र के मामले के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी, जिन्हें प्राकृतिक उत्तराधिकार द्वारा संपत्ति विरासत में मिली है, जब 1972 के अधिनियम के लागू होने से पहले किसी बड़े भूमि मालिक की मृत्यु हो जाती है।

अमित जैन, अधिवक्ता और C.B.Goel, अधिवक्ता,

परत्यर्थी सं. के एल. आर. के लिए। 9.

अनिल क्षेत्रपाल, जे।

(1) प्रतिवादी-हरियाणा राज्य वादी द्वारा दायर डिक्री वाले मुकदमे के तहत अदालतों द्वारा प्राप्त तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ अपील कर रहा है।

(2) कुछ तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वर्गीय श्रीमती. सरबती को बड़ी भूमि का स्वामी घोषित किया गया था और पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के तहत दिनांक 14-03-1961 के आदेश के अनुसार विवादित भूमि को उनके हाथों में अधिशेष घोषित किया गया था। श्रीमती. 1964 में सरबती की मृत्यु हो गई और उनकी संपत्ति श्रीमती चन्दन देवी को, अपने दिवंगत पति की बहन द्वारा विरासत में मिली। चंदन देवी की भी वर्ष 1965 में मृत्यु हो गई। चंदन देवी की मृत्यु पर, संपत्ति उनके बच्चों जुगल किशोर, मदन लाल, शांति सरूप, मोहिंदर और सुमितर को विरासत में मिली। इन पाँच व्यक्तियों ने रामफल, शमी सिंह और राज सिंह के पक्ष में दो पंजीकृत बिक्री विलेखों दिनांक 13-07-1972 और 20-12-1981 द्वारा भूमि बेच दी, जिन्होंने बदले में वादी को संपत्ति बेच दी। इन खरीदारों (वादियों) ने वर्तमान मुकदमा दायर किया था जिसे हरियाणा राज्य के साथ-साथ प्रतिवादी नं। 4 पहलाद, जो तब से मर चुका है, उसका प्रतिनिधित्व उसके उत्तराधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(3) विचार के लिए जो सवाल उठता है वह यह है कि "क्या अधिशेष भूमि के उपयोग से पहले प्राकृतिक उत्तराधिकार द्वारा संपत्ति की विरासत के लिए उत्तराधिकारियों के हाथों में संपत्ति के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता होगी या पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं?"

(4) प्रासंगिक समय पर, पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम, 1953 (जिसे इसके बाद '1953 का अधिनियम' कहा जाता है) लागू था। 1953 के अधिनियम की धारा 10-ए में निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकार या इस संबंध में सशक्त कोई भी अधिकारी किरायेदार के पुनर्स्थापन के लिए अधिशेष क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम होगा। धारा 10-ए के खंड (बी) में प्रावधान है कि तत्काल प्रभाव से किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के प्रारंभ पर अधिशेष क्षेत्र का हिस्सा भूमि का कोई हस्तांतरण या अन्य निपटान खंड (ए) में उसके उपयोग को प्रभावित नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जब राज्य सरकार या किसी उत्तराधिकारी द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। इस प्रकार, खंड (बी) में प्रावधान है कि यदि भूमि किसी उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी को विरासत में मिलती है, तो यह अधिशेष क्षेत्र की घोषणा को प्रभावित करेगा। 1953 के अधिनियम की धारा 10-बी इसे और अधिक स्पष्ट बनाती है क्योंकि यह प्रावधान किया गया है कि

अधिशेष क्षेत्र के उपयोग के बाद उत्तराधिकार द्वारा लागू नहीं होगा। इस प्रकार, 1953 के अधिनियम की धारा 10-ए और 10-बी के सह-संयुक्त पठन पर यह स्पष्ट है कि यदि बड़े भूमि मालिक की मृत्यु हो जाती है और अधिशेष घोषित भूमि के

उपयोग से पहले उत्तराधिकारियों द्वारा विरासत में मिली संपत्तियां, तो यह अधिशेष क्षेत्र की घोषणा के क्रम को प्रभावित करेगा।

(5) भूमि के उपयोग के लिए नियम बनाए गए हैं, अर्थात् पंजाब भूमि सुरक्षा कार्यकाल नियम, 1956 (इसके बाद '1956 के नियम' के रूप में संदर्भित)। 1956 के नियमों के नियम 20-ए, 20-बी और 20-सी उस भूमि का उपयोग करने के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करते हैं जिसे अधिशेष घोषित किया गया है। 1956 के नियमों के नियम 20-सी (सी) को ध्यान से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि एक किरायेदार जिसे इस भाग के तहत फिर से बसाया गया है, वह उस भूमि के संबंध में एक कबुलियत (अनुबंध) या एक पट्टा निष्पादित करेगा जैसा कि पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम, 1953 के अनुबंध 'सी' में दिया गया है।

(6) सुविधा के लिए, 1953 के अधिनियम की धारा 10-ए, 10-बी और 1956 के नियमों के नियम 20-ए, 20-बी और 20-सी को निम्नानुसार निकाला गया है:-

पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम, 1953।

धारा 10-ए (ए) राज्य सरकार या इसके द्वारा सशक्त कोई भी अधिकारी धारा 9 की उप धारा (1) के खंड (i) के तहत निष्कासित या निष्कासित किए जाने वाले किरायेदारों के पुनर्वास के लिए किसी भी अधिशेष क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम होगा। (ख) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या उत्तराधिकार द्वारा किसी उत्तराधिकारी द्वारा अधिग्रहित भूमि के मामले को छोड़कर, इस अधिनियम के प्रारंभ में अधिशेष क्षेत्र में समाविष्ट भूमि का कोई हस्तांतरण या अन्य निपटान खंड (क) में उसके उपयोग को प्रभावित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण-किसी भी अधिशेष क्षेत्र के इस तरह के उपयोग से भूमि-मालिक के इस तरह से बसे हुए किरायेदार से किराया प्राप्त करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति के अधिशेष क्षेत्र का निर्धारण करने के उद्देश्य से।

इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद प्राप्त किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की कोई निर्णय डिक्री या आदेश और ऐसे व्यक्ति के क्षेत्र को कम करने का प्रभाव, जिसे उसका अधिशेष क्षेत्र घोषित किया जा सकता था, को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। उत्तराधिकार द्वारा बचत अधिशेष क्षेत्र के उपयोग के बाद लागू नहीं होगी-जहां धारा 10-ए के खंड (ए) के तहत अधिशेष क्षेत्र या उसके किसी हिस्से का उपयोग किए जाने के बाद उत्तराधिकार खोला गया है, उस धारा के खंड (बी) के तहत उत्तराधिकार द्वारा उत्तराधिकारी के पक्ष में निर्दिष्ट बचत इस तरह से उपयोग किए गए क्षेत्र के संबंध में लागू नहीं होगी।

पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा नियम, 1956

20 उ. प्रमाण पत्र जारी करना। - प्रत्येक किरायेदार को फॉर्म के-6 में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसमें उसे आवंटित भूमि का स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाएगा। प्रमाणपत्र की प्रत्येक प्रति संबंधित पटवारियों के साथ-साथ उस भूमि मालिक को भेजी जाएगी जिसकी भूमि पर किरायेदार को फिर से बसाया जाना है, और एक अन्य प्रति रिकॉर्ड के लिए फाइल पर रखी जाएगी।

20 ख. अधिकार की प्राप्ति-(1) किसी अधिशेष क्षेत्र के आबंटन का आदेश पारित हो जाने के बाद, मंडल राजस्व अधिकारी, भूमि मालिक या किरायेदार को, यथास्थिति, अपने अधिशेष क्षेत्र में भूमि का कब्जा मंडल राजस्व अधिकारी को देने का निर्देश देने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने के लिए कलेक्टर को भेजेगा, जिसे अधिकार की प्राप्ति के उद्देश्य से धारा 19-सी के तहत सरकार द्वारा सशक्त अधिकारी माना जाएगा।

(2) अधिशेष क्षेत्र में पुनर्स्थापित प्रत्येक किरायेदार उस तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उसे आवंटित भूमि का कब्जा लेने के लिए बाध्य होगा जिस दिन उसकी उपस्थिति में स्थल पर भूमि का सीमांकन किया जाता है या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो सर्कल राजस्व अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए अनुमति दी जाए। भूमि का अधिकार स्वयं मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा किरायेदार को दिया जाएगा।

(3) जिस भूमि पर किरायेदार को फिर से बसाया जाता है, उस पर अधिकार आम तौर पर फसलों की कटाई के बाद दिया जाएगा। तथापि, यदि सर्कल राजस्व अधिकारी फसल काटने से पहले किसी भी किरायेदार को भूमि का कब्जा देना आवश्यक समझता है, तो किरायेदार द्वारा कब्जा लेने से पहले पटवार द्वारा फसल और उसके नीचे के क्षेत्र को दर्शाते हुए एक विवरण तैयार किया जाएगा। विवरण की एक प्रति भूमि मालिक के साथ-साथ किरायेदार को भी दी जाएगी।

20 ग. पुनर्वास की शर्तें। - किरायेदार, जो है

इस भाग-498 के तहत पुनर्स्थापित

(क) उस भूमि स्वामी का किरायेदार होगा जिसके नाम पर विचाराधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में है; (ख) अधिनियम की धारा 12 के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन ऐसी भूमि के लिए किराए की उतनी ही राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो उस संपत्ति में प्रथागत है; और

(ग) उस भूमि के संबंध में, जिस पर उसे पुनर्स्थापित किया गया है, भूमि के कब्जे में रखने से पहले भूमि मालिक के पक्ष में पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा नियम, 1953 में संलग्न अनुलग्नक 'ग' में दी गई एक कबुलियत या पट्टा निष्पादित करेगा।

(7) यह ध्यान दिया जा सकता है कि हरियाणा राज्य के गठन के बाद, विधानमंडल ने अलग अधिनियम, अर्थात् हरियाणा

सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 लागू किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि पंजाब कानून या पेप्सू कानून के तहत घोषित भूमि मालिक या किरायेदारों का अधिशेष क्षेत्र, जो अब तक राज्य सरकार में निहित नहीं है, निर्धारित दिन यानी 24 जनवरी, 1971 से राज्य सरकार में निहित माना जाएगा। विवादित भूमि हरियाणा राज्य में स्थित है। तथापि, यह जांच की जानी चाहिए कि 1972 के अधिनियम के लागू होने से पहले क्या भूमि का उपयोग किया गया था या नहीं या 1972 के अधिनियम के लागू होने पर 1972 के अधिनियम की धारा 12 (3) के तहत भूमि राज्य सरकार में निहित थी या नहीं। अधिनियम के तहत बनाई गई धारा 10-ए, 10-बी और नियमों के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि यदि अधिशेष क्षेत्र भूमि का उपयोग नहीं किया गया था और बड़े भूमि मालिक की मृत्यु के कारण, भूमि विरासत में मिली थी, तो 1953 के अधिनियम के तहत अधिकारियों को उत्तराधिकारियों के हाथों में अधिशेष क्षेत्र को फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता थी।

(8) 1972 के अधिनियम की धारा 8 हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 की धारा 8 (1) के तहत उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त संपत्ति को भी बचाती है, जिसे निम्नानुसार निकाला गया है:-

8. परिसंपत्ति क्षेत्र को प्रभावित न करने के लिए निश्चित हस्तांतरण या निपटान।

(1) केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा कुछ समय के लिए लागू किसी कानून के तहत या पी. पी. एस. यू. कानून या पंजाब कानून के तहत किसी किरायेदार द्वारा या विरासत द्वारा किसी उत्तराधिकारी द्वारा अधिग्रहित भूमि के मामले को छोड़कर, -

हरियाणा राज्य और अन्य बनाम राजेंद्र कुमार और अन्य (अनिल क्षेत्रपाल, जे.)	499
--	-----

(क) 30 जुलाई, 1958 के बाद पेप्सू कानून या पंजाब कानून के तहत अनुमेय क्षेत्र; और (ख) इस अधिनियम के तहत अनुमेय क्षेत्र, नियत दिन के बाद एक वास्तविक हस्तांतरण या निपटान को छोड़कर, उपरोक्त अधिनियमों के तहत राज्य सरकार के उस अधिशेष क्षेत्र के अधिकार को प्रभावित करेगा, जिसके लिए वह इस तरह के हस्तांतरण या निपटान का हकदार होगा:

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जिसे भूमि के ऐसे हस्तांतरण या निपटान के तहत लाभ प्राप्त हुआ है, वह उसे उस व्यक्ति को पुनर्स्थापित करने या उसके लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा जिससे उसने इसे प्राप्त किया था।

(1976 के अधिनियम सं. 17 के अनुसार)

(2) स्थानांतरण या स्वभाव को प्रामाणिक साबित करने का भार स्थानांतरण पर होगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नियत दिन के बाद किसी भूमि का हस्तांतरण या निपटान करता है, तो इस तरह से हस्तांतरित या निपटाई गई भूमि को अनुमेय क्षेत्र की गणना करने में उस व्यक्ति का स्वामित्व या अधिकार माना जाएगा । इस प्रकार गणना की गई अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि व्यक्ति का अधिशेष क्षेत्र होगा और यदि इस तरह के हस्तांतरण या निपटान के बाद उसके पास बचा क्षेत्र इस प्रकार गणना किए गए अधिशेष क्षेत्र के बराबर है, तो उसके पास बचा हुआ पूरा क्षेत्र अधिशेष क्षेत्र माना जाएगा । यदि उसके पास बचा हुआ क्षेत्र इस प्रकार गणना किए गए अधिशेष क्षेत्र से कम है, तो उसके पास बचा हुआ पूरा क्षेत्र अधिशेष क्षेत्र माना जाएगा और इसमें कमी की सीमा तक इस प्रकार हस्तांतरित या निपटाई गई भूमि को भी अधिशेष क्षेत्र माना जाएगा । यदि एक से अधिक हस्तांतरणकर्ता हैं, तो अधिशेष क्षेत्र की कमी प्रत्येक हस्तांतरणकर्ता से उन्हें हस्तांतरित या निपटाई गई भूमि में पदोन्नति में पूरी की जाएगी ।

(9) पंजाब प्रतिभूति भूमि स्वामित्व सुरक्षा अधिनियम, 1953 या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत कानून के अधिदेश को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि एक उत्तराधिकारी द्वारा विरासत को बचाया गया है यदि अधिशेष घोषित भूमि का उपयोग उनके द्वारा नहीं किया गया था । इस अदालत का ध्यान हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 या पंजाब सिक्वोरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट, 1953 में किसी भी प्रावधान की ओर नहीं खींचा गया है, जिसमें कहा गया है कि उन उत्तराधिकारियों के हाथों में अधिशेष क्षेत्र के मामले के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी, जिन्हें प्राकृतिक उत्तराधिकार द्वारा संपत्ति विरासत में मिली है, जब 1972 के अधिनियम के लागू होने से पहले किसी बड़े भूमि मालिक की मृत्यु हो जाती है ।

(10) वर्तमान मामले में, बड़े भूमि मालिक स्वर्गीय श्रीमती सरबती की मृत्यु पर उत्तराधिकार 1964 में शुरू हुआ । उनकी उत्तराधिकारी स्वर्गीय श्रीमती चंदन देवी की मृत्यु भी वर्ष 1965 में 1972 के अधिनियम के लागू होने से पहले हुई थी । इस प्रकार, जुगल किशोर, मदन लाल, शांति सरूप, महेंद्र और सुमितर के हाथों अधिशेष क्षेत्र के मामले को फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता थी ।

(11) हरियाणा राज्य के साथ-साथ पहलाद के कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि पहलाद के पक्ष में आवंटन वर्ष 1964 में किया गया था । उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में रजिस्टर Ex.D4 की प्रति का उल्लेख किया । दूसरी ओर, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त रजिस्टर 1956 के नियमों के नियम 20-ए, 20-बी और 20-सी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है या यह साबित नहीं करता है कि सभी आवश्यकताओं का पालन किया गया था, इसलिए, केवल आवंटन, भले ही यह माना जाए, अधिशेष क्षेत्र का उपयोग नहीं है । उन्होंने आगे अदालत का ध्यान Ex.D3 की ओर आकर्षित किया, जो कि पहलाद के पक्ष में आवंटन पत्र है, दिनांक 23.12.1984 जिसके बाद ज़मीन की कीमत का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि पहलाद द्वारा जमा की गई थी । उन्होंने

आगे प्रस्तुत किया कि पहलाद को 1953 के अधिनियम की धारा 9 (1) (i) के तहत एक याचिका में बेदखल करने का आदेश दिनांकित 21-08-1968 दिया गया था, दिनांकित 21.08.1968 आदेश के माध्यम से, जिसकी पुष्टि अपील में दिनांकित 12.11.1968 आदेश के माध्यम से की गई थी और उपरोक्त बेदखली आदेश के निष्पादन में, पहलाद को 06.02.1969 पर बेदखल कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में, पहलाद को लगातार कब्जे में दर्ज नहीं किया गया है और यह चंदन देवी के कानूनी उत्तराधिकारी हैं जो कब्जे में दर्ज हैं।

(12) पक्षों के विद्वान वकीलों की उपरोक्त दलीलों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अधिशेष क्षेत्र भूमि का उपयोग 1972 के अधिनियम के लागू होने से पहले कभी नहीं किया गया था। 1972 के अधिनियम के लागू होने से पहले उत्तराधिकार खोला गया। इस प्रकार अधिशेष क्षेत्र के मामले को सरबती और उसके बाद चंदन देवी के उत्तराधिकारियों के हाथों में फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता थी जो अभी तक नहीं किया गया है।

(13) राज्य के विद्वान वकील ने कृष्ण कुमारी के और अन्य बनाम हरियाणा राज्य ओर अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित एक फैसले पर भरोसा किया और

(14) उपरोक्त निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने यह मान लिया कि एक बार यह साबित हो जाने के बाद कि भूमि का कब्जा 1956 के नियमों के नियम 20-बी के तहत दिया गया था, एक धारणा उत्पन्न होगी कि पूर्ववर्ती सभी औपचारिकताओं का विधिवत पालन किया गया था।

इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उपरोक्त 1 निर्णय उस मामले के तथ्यों पर है और एक अनुपात के रूप में यह निर्धारित नहीं करता है कि भूमि के केवल आवंटन, यदि कोई हो, के परिणामस्वरूप अधिशेष क्षेत्र का उपयोग होगा जो 1953 के अधिनियम की धारा 10-बी में उपयोग किया गया शब्द है। विधायिका ने बड़े भूमि मालिक की संपत्ति के विनिवेश के लिए अधिनियम और नियमों में एक प्रक्रिया निर्धारित की है। उन कदमों को अक्षर और भावना में अनुपालन के रूप में दिखाया जाना चाहिए। एक बार जब कानून यह निर्धारित करता है कि एक विशेष कदम एक विशेष तरीके से किया जाएगा तो यह दिखाया जाना चाहिए कि उस तरीके से किया गया था। वर्तमान मामले में, हरियाणा राज्य या पहलाद के उत्तराधिकारी यह साबित करने में विफल रहे हैं कि भूमि का उपयोग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।

(15) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, नीचे दी गई अदालतों द्वारा प्राप्त तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। इसलिए, नियमित दूसरी अपील खारिज कर दी जाती है।

ऋतंबर ऋषि

अस्वीकरणीय :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंगरेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रहेगा।

अंजू बाला

अनुवादक